–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :–

पीठासीन अधिकारी :–देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 164/2022

उनवान

1. धन सिंह पुत्र चांद सिंह,
2. नाहर सिंह पुत्र जोध सिंह जाति राजपूत नि0 बूबानिया नसीराबाद

—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. करण सिंह पुत्र जवान सिंह जाति राजपूत नि0 बूबानिया, नसीराबाद,
2. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– 1 अनुपस्थित, 2 जरियें राज. पैरोकार

3. भंवर सिंह पुत्र तेज सिंह,
4. बलवीर सिंह पुत्र तेज सिंह,
5. छोटू सिंह पुत्र जोध सिंह
6. प्रहलाद सिंह पुत्र जोध सिंह जाति राजपूत नि0 बूबानिया, नसीराबाद

—— प्रफोमा प्रतिवादीगण :– 3 से 6 अनुपस्थित

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 30/6/25

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बूबानिया के चौसाला खसरा नम्बर 1886 रकबा 0–6–10 के वंर्किग खसरा नम्बर 2199 रकबा 0–6–0 के हाल खसरा नम्बर 1911 रकबा 0.02 व 1910 रकबा 0.03 की आराजी खतौनी जमाबंदी सन् फसली 1358 में खातेदार जवान सिंह, जोध सिंह, चांद सिंह के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज थी। सभी खातेदार की मृत्यु हो गयी है। चांद सिंह का वारिस वादी संख्या 1 धन सिंह, जवान सिंह का वारिस प्रतिवादी संख्या 1 करण सिंह व जोध सिंह का वारिस वादी संख्या 2 नाहर सिंह व प्रफोंर्मा प्रतिवादीगण है। वादी व प्रतिवादी उक्त चाह पर पुश्तैनी समय से काबिज चले आ रहे है। किन्तु वंर्किग जमाबंदी व हाल राजस्व अभिलेख में खसरा नम्बर 1911 रकबा 0.02 वादीगण व प्रतिवादीगण का 1/4 हिस्सा त्रुटिपूर्ण तरीके से अकेले प्रतिवादी संख्या 1 के नाम ही दर्ज कर दिया गया। व हाल खसरा नम्बर 1910 रकबा 0.03 सिवायचक अंकित कर दिया। आराजी मुतननाजा राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम दर्ज नही होने के कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण,

—2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:31:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रतिवादी संख्या 1 व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण को घोषित किया जावें। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 से 6 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज. पेरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

प्रकरण में खण्डन नही होने के कारण तनकी कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किया तथा नाहर सिंह, जोरावर सिंह, दशरथ सिंह का शपथ पत्र पेश किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्ता वादीगण व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। वादीगण का कथन है कि ग्राम बूबानिया के चौसाला खसरा नम्बर 1886 रकबा 0–6–10 के वंर्किग खसरा नम्बर 2199 रकबा 0–6–0 के हाल खसरा नम्बर 1911 रकबा 0.02 व 1910 रकबा 0.03 की आराजी खतौनी जमाबंदी सन् फसली 1358 में खातेदार जवान सिंह, जोध सिंह, चांद सिंह के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज थी। किन्तु वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख अनुसार चौसाला खसरा नम्बर 1886 रकबा 0–6–110 सन् फसली में खातेदार जवान सिंह, जोध सिंह, चांद सिंह के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज नही है। चौसाला खसरा गिरदावरी में उक्त गै.मु. चाह सिवायचक खाते में दर्ज है। वंर्किग जमाबंदी में वंर्किग खसरा नम्बर 2199 रकबा 0–6–10 सिवायचक खातें में दर्ज है। नामान्तकरण संख्या 195 दिनांक 22.6.992 से उक्त चाह में से 0–3–0 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता जवान सिंह पि. डूंगर सिंह व अन्य व्यक्तियों के नाम नियमन हुआ है। वदीगण अथवा प्रफोर्मा प्रतिवादीगण के पिता के नाम उक्त चाह का नियमन नही हुआ है। उक्त चाह जिसके 0–3–0 का नियमन प्रतिवादी संख्या 1 के पिता व अन्य व्यक्तियों को किया गया के हाल खसरा नम्बर 1911 रकबा 0.02 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज है, तथा हाल खसरा नम्बर 1910 रकबा 0.03 पूर्व अनुसार सिवायचक खातें में दर्ज है। वादीगण द्वारा उक्त नियमन आदेशा के विरूद्व कोई चाराजोही नही की है। चौसाला राजस्व अभिलेख में चाह वादीगण अथवा पूर्वजों के नाम दर्ज नही था। वंर्किग जमाबंदी में उक्त चाह जिन व्यक्तियों के नाम नियमन हुआ हाल राजस्व अभिलेख में उसीी अनुरूप इन्द्राज किया गया है। वंर्किग खसरा नम्बर 2199 के पूर्ण रकबे का नियमन नही होने के कारण हाल खसरा नम्बर 1910 रकबा 0.03 को सिवायचक दर्ज किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख अनुसार वाद के कथनों की ताईद नही होती है। आराजी मुतनाजा का हाल इन्द्राज त्रूटिपूर्ण सिद्व नही होता है।

उक्तानुसार ग्राम बूबानिया के हाल खसरा नम्बर 1911 रकबा 0.02 व 1910 रकबा 0.03 पर वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:31:07 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

धन सिंह बनाम करण सिंह

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955, धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 164/2022
पेश करने की दिनांक – 17.11.22

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम बूबानिया के हाल खसरा नम्बर 1911 रकबा 0.02 व 1910 रकबा 0.03 पर वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 30 माह 6 सन् **2025** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:31:07 IST
Reason: SelfAttested